अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 09/2011

परमेश्वर प्रसाद

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 183, दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को परमेश्वर प्रसाद, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0-57/2007,सा0-छपियाँ, पंचायत-अरना प्रखंड-मशरक, की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय जाँच दल (श्री रमण कुमार ओझा कार्यापालक दण्डाधिकारी, मढौरा एवं अंचल अधिकारी, मशरक) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागज जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के धर के अन्य सदस्य के द्वारा भंडारण के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नही दिखाया गया। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन	

पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3455,दिनांक 08.12.2010 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा प्रतिदिन समय से अपनी दूकान खोला एवं बन्द किया जाता है। जाँच की तिथि 08.12.2010 को विक्रेता के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया जिसकी इलाज हेतु वे डॉक्टर के यहाँ गये हुए थे। विक्रेता की जेब में चाभी होने की वजह से परिवार के सदस्यों के द्वारा न तो दूकान खोलकर दिखाना संभव हो सका और न ही कोई कागजात ही प्रस्तुत करना संभव हो पाया। विक्रेता के द्वारा जान-बुझ कर अपनी अनियमितता को छिपाने के लिए दूकान को बंद नही रखा गया था। इस आशय की सूचना पट्ट पर अंकित थी। साथ ही मूल्य तालिका भी संधारित थी, लेकिन हो सकता है लिखावट के हल्का रहने की वजह से दूर से दिखाई न दिया हो। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। जांच के कम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विक्रेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 183 दिनांक 13.01.2011) में कई कमियां नजर आ रही है, विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में यदि कुछ कमी थी या कोई अनियमितता पाई गई, तो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता, लेकिन अनुज्ञापन

पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 299 /न्या0, दिनांक 08/05/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
8/5/15